पुलिस कर्मियों के कल्याण के संबंध में।

Content

Time: 90 min

1. स्थाई आदेश संख्या 24/2018 कमांक 5860 दिनांक 15.10.2018
2. सेवा के दौरान मृत्यु पर देय परिलाभ का विवरण, कमांक 2491 दिनांक 04.05.2018
3. सेवानिवृति पर देय परिलाभ का विवरण, कमांक 2490 दिनांक 04.05.2018
4. पट्रोल भत्ता बाबत् परिपत्र, कमांक 371 दिनांक 15.01.2019

कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः-व.15(14)आ.एवंक./वेलफेयर/95/पार्ट-2/ 5860 दिनांकः-15/10/18

स्थाई आदेश संख्या 24/2018

राज्य सरकार तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिसकर्मियों के कल्याणार्थ अनेक योजनाऐं संचालित की जा रही हैं। जिनमें पुलिसकर्मियों को सेवाकाल, सेवानिवृति तथा सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर विभिन्न परिलाभ प्रदान किये जाते हैं। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है कि अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके परिजनों को देय समस्त परिलाभ नियत समयावधि में उपलब्ध हों। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समस्त जिला/ यूनिट्स में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को 'कल्याण अधिकारी' नियुक्त किया जाता है जो निम्न कार्यो के सम्पादन हेतु उत्तरदायी होंगे-

1. सेवानिवृति अथवा सेवा के दौरान मृत्यु पर देय समस्त परिलाभों का शीघ्र भुगतान। (आदेश क्रमांक 2490 एव 2491 दिनांक 04.05.18)
2. चोटग्रस्त/रोगग्रस्त कर्मचारियों को शीघ्र उपचार सुलभ कराना। (स्थाई आदेश संख्या 01/2018 दिनांक 03.04.2018)
3. छात्रवृति के प्रकरणों को शीघ्र तैयार कराकर प्रेषित करना।
4. खेलकूद एवं मनोरंजन गतिविधियों को बढ़ावा।
5. नियमित स्वास्थ्य परीक्षण।
6. नियमित सम्पर्क सभा एवं आवश्यकतानुसार सम्पर्क।
7. कल्याणकारी योजनाऐं बनाकर लागू करना।
8. गम्भीर बीमारियों के दावा प्रकरणों का निस्तारण।
9. पुलिस सैलेरी पैकेज के अन्तर्गत दावों का निस्तारण।
10. मेडिक्लेम पॉलिसी के अन्तर्गत दावों का निस्तारण।

विभिन्न जिला/यूनिटों में निम्न पुलिस अधिकारी पदेन 'कल्याण अधिकारी' होंगे-

पुलिस कमिश्नरेट	पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)
जिलों में	जिलामुख्यालय पर पदस्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो संस्थापन शाखा का कार्य देख रहे हैं।
बटालियन में, प्रशिक्षण केन्द्र, एस.डी.आर.एफ.	द्वितीय वरिष्ठतम अधिकारी
अपराध शाखा	पुलिस अधीक्षक (प्रशासन एवं पी.आर.सी.)
राज्य विशेष शाखा	पुलिस अधीक्षक, एस.एस.बी.
एस.सी.आर.बी.	पुलिस अधीक्षक, एस.सी.आर.बी.
ए.टी.एस., एस.ओ.जी.	पुलिस अधीक्षक, ए.टी.एस.

कल्याण अधिकारी अपने जिला/यूनिट से सम्बन्धित उपर्युक्त प्रकरणों/विषयों के संबंध में शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें तथा आवश्यकतानुसार पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के सम्पर्क में रहेंगे। संबंधित पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेंट प्रत्येक पखवाड़े में कम से कम एक बार लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। संबंधित महानिरीक्षक पुलिस/उप महानिरीक्षक पुलिस भी पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेंट की नियमित बैठकों के दौरान कल्याण से संबंधित लम्बित प्रकरणों/विषयों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार समुचित कार्यवाही करेंगें।

(ओ. पी. गल्होत्रा)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः-

1. महानिदेशक, गृह रक्षा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो/जेल, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ महानिदेशक पुलिस, कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
4. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी/पुलिस दूरसंचार/एस.सी.आर.बी./ एफ.एस.एल./ इन्टैलीजेन्स ट्रेनिंग अकादमी, जयपुर।
5. पुलिस आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त/उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त महानिरीक्षक पुलिस/उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
7. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
8. कमाण्डेंट,आर.ए.सी./हाडीरानी/एम.बी.सी./एस.डी.आर.एफ. बटालियन।
9. कमाण्डेंट, पी.टी.एस./पी.एम.डी.एस./कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण,
राजस्थान, जयपुर।

9532
18/10/18

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांक-व-15(14)आ.एवं क./वेलफेयर/95/पार्ट-2/2491 दिनांक: 04.05.2018

सेवा के दौरान मृत्यु पर देय परिलाभ का विवरण

पुलिस अधिकारी/कर्मियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रित को देय परिलाभ निम्नानुसार है। विस्तृत एवं सटीक जानकारी संबंधित अधिनियम/नियम/परिपत्र से की जावे।

क्र. सं.	विवरण	देय परिलाभ
1	पेंशन	
	पारिवारिक पेंशन	अंतिम रुप से आहरित परिलब्धियों का अधिकतम 50 प्रतिशत
	विशेष पेंशन	मृतक सरकारी कर्मचारी द्वारा अंतिम रुप से आहरित परिलब्धियों के समान (राजस्थान पेंशन नियम 109 से 114 के अनुसार)
2	बीमा	राज्य कर्मचारी बीमा की बीमित राशि की दुगनी राशि
3	जी.पी.एफ.	जी.पी.एफ. में जमा राशि मय ब्याज
4	उपार्जित अवकाश का भुगतान	अनुपयोजित उपार्जित अवकाश (अधिकतम 300 दिवस) के वेतन के बराबर नकद राशि
5	ग्रेच्यूटी	सेवावधि के अनुरुप (अधिकतम राशि 20 लाख रुपए) (राजस्थान पेंशन नियम 55 (1)(क) के अनुसार)
6	अनुकम्पात्मक नियुक्ति	मृतक के एक योग्य आश्रित को नियमानुसार
7	दयामूलक अनुदान	राजस्थान सिविल सर्विस (पेंशन) संशोधित नियम 1996 के नियम 75 के प्रावधानानुसार (अधिकतम राशि रु. 20.00 लाख)
8	समूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (दुर्घटना अथवा घटना होने पर)	
	कानि. से हैड कानि.	रु.2.00 लाख
	स.उ.नि. से पु.नि.	रु.4.00 लाख
	उप पुलिस अधीक्षक से महानिदेशक पुलिस	रु.6.00 लाख
	पार्थिव शरीर को पैतृक शहर/कस्बा/गांव ले जाने हेतु परिवहन राशि (बीमित राशि के अतिरिक्त)	रु.2000
9	राजस्थान पुलिस बेनेवेलेन्ट फण्ड	
	साधारण मृत्यु होने पर	रु. 35000
	मुठभेड़ के दौरान मार दिए जाने पर	रु. 45000

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांक–व–15(14)आ.एवं क./वेलफेयर/95/पार्ट–2/2490 दिनांक: 04.05.2018

सेवानिवृति पर देय परिलाभ का विवरण

पुलिस अधिकारी/कर्मियों को सेवानिवृति पर देय परिलाभ का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। विस्तृत एवं सटीक जानकारी संबंधित अधिनियम/नियम/परिपत्र से की जावे।

क्र. सं.	विवरण	देय परिलाभ
1	पेंशन	
	28 वर्ष एवं अधिक की सेवा अवधि	अंतिम रुप से आहरित परिलब्धियों का 50 प्रतिशत
	28 वर्ष से कम की सेवा अवधि	अनुपातिक रुप से
2	बीमा	राज्य कर्मचारी बीमा की बीमित राशि मय बोनस राशि
3	जी.पी.एफ.	जी.पी.एफ. में जमा राशि मय ब्याज
4	उपार्जित अवकाश का भुगतान	अनुपयोजित उपार्जित अवकाश (अधिकतम 300 दिवस) के वेतन के बराबर नकद राशि
5	ग्रेच्यूटी	सेवावधि के अनुरुप (अधिकतम राशि रुपए 20 लाख) (राजस्थान पेंशन नियम 55 (1)(क) के अनुसार)

कृपया इस संबंध में समस्त पुलिस अधिकारियों/कर्मियों को अवगत कराया जावे।

(भूपेन्द्र कुमार दक)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि–

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/जेल, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
3. निदेशक, आरपीए/एससीआरबी/वायरलैस/एफएसएल।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
6. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
8. समस्त कमाण्डेन्ट, आरएसी/हाडीरानी/एमबीसी, बटालियन।
9. समस्त कमाण्डेन्ट, प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-भ.15(6)आ.एवं क./मोटर साईकिल भत्ता/2018/ 371 दिनांक:- 15.01.19

परिपत्र

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 51 दिनांक 08.01.2007 के द्वारा राज्य के पुलिस थानों/पुलिस चौकियों/सी.आई.डी. (सी.बी./आई.बी.) में पदस्थापित सहायक उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक तक के अनुसंधान अधिकारियों को प्रतिमाह 05 लीटर पेट्रोल की कीमत के बराबर की राशि मोटरसाईकिल भत्ते के रूप में दिये जाने हेतु मोटरसाईकिल भत्तों का जिलेवार आवंटन किया गया है।

मोटरसाईकिल भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में अति. महानिदेशक पुलिस, (मुख्यालय), राजस्थान जयपुर के पत्रांक व.15(2)पुलिस-फोर्स/एलोके/2006/411 दिनांक 24.03.2007 के द्वारा पेट्रोल की राशि की गणना किस दर के आधार पर की जावें, के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त प्रकिया के अतिरिक्त यह प्रकिया भी अपनाई जा सकती है कि भत्ता प्राप्त करने वाला पुलिसकर्मी पेट्रोल क्रय करते समय पेट्रोल पम्प से बिल प्राप्त करे बिल में वाहन का नम्बर व केता के रूप में स्वंय का नाम अवश्य अंकित करावें। उक्त बिल को स्वंय सत्यापित कर भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जावें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(आलोक माथुर)
वित्तीय सलाहकार,
पुलिस मुख्यालय, राज0 जयपुर

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस राजस्थान।
2. निदेशक, आरपीए/पुलिस दूरसंचार/एफ.एस.एल./एस.सी.आर.बी. जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
5. समस्त उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जी.आर.पी. अजमेर व जोधपुर।
7. समस्त कमाण्डेन्ट, आरएसी बटालियन मय आई.आर./एम.बी.सी. खैरवाडा/हाडीरानी महिला बटालियन (आई.आर.) अजमेर।
8. सहायक महानिरीक्षक पुलिस, प्रशिक्षण, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय जयपुर।
10. प्रधानाचार्य, आर.पी.टी.सी. जोधपुर।
11. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय जयपुर।
12. समस्त कमाण्डेन्ट, पीटीएस राजस्थान मय एटीएस जयपुर/पीएमडीएस बीकानेर।
13. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।

वित्तीय सलाहकार,
पुलिस मुख्यालय, राज0 जयपुर

Scanned by CamScanner